IS 15700:2005
सेवोत्तम प्रमाणित

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
कार्यालय सम्पत्ति प्रबन्धक,
आफिस काम्पलेक्स केशवपुरम, कल्यानपुर, कानपुर

E-Mail Address :- emo_1kanpur@rediffmail.com

भारतीय मानक ब्यूरो IS 15700
Bureau of Indian Standards
SQMS

पत्रांक /संoप्रo/ दिनांकः

सेवा में,

.....,

.....

.....

विषयः **परिषद की अम्बेडकरपुरम योजना संख्या–3, कानपुर में स्वं वित्त पोषित योजना के अन्तर्गत गंगा इन्क्लेव में फ्लैट हेतु मांग पत्र के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक मुख्यालय के पत्रांक ..... के क्रम में स्व वित्त पोषित पंजीकरण वर्ष 2013(1) खोला गया था। उक्त पंजीकरण हेतु आप द्वारा परिषद की अम्बेडकरपुरम योजना संख्या–3, सेक्टर–ई कानपुर में स्थित गंगा इन्क्लेव बहुमंजिलें फ्लैट ..... हेतु पंजीकरण कराया गया था। उक्त पंजीकरण का पात्रता चयन ड्रा दिनांक ..... को सम्पन्न हुआ। जिसमें आप सफल हुए हैं। फ्लैट्स निर्मित/आफर होने पर फ्लैट के तलों व नम्बरिंग का आवंटन परिषद नियमानुसार लाटरी पद्धति से किया जायेगा। अधिशासी अभियंता निर्माण खण्ड–20 कानपुर के पत्र संख्या ..... द्वारा अवगत कराया गया है कि आवास आयुक्त (म0) द्वारा गंगा इन्क्लेव फ्लैट के अनुमानित मूल्य में संशोधित मूल्य निर्धारित करते हुए अवशेष भुगतान सात तिमाही किश्तों के स्थान पर दस तिमाही किश्तों में लिये जाने के आदेश दिये गये हैं। उक्त क्रम में गंगा इन्क्लेव फ्लैट का मांग पत्र में अनुमानित संशोधित मूल्य ..... का 10 प्रतिशत धनराशि 60 दिवसों के अन्दर तथा पंजीकरण धनराशि का समायोजन के उपरान्त अवशेष धनराशि 10 त्रैमासिक किश्तों में भुगतान करने हेतु विवरण निम्नवत है।

क्र0 सं0	किश्त सं0	धनराशि रूपये)	सेवाकर (3.5%)	देय तिथि
अ	पंजी0 धनराशि पर देय सेवाकर			
ब	(चयन के पश्चात 60 दिवसों के अन्दर 10 प्रतिशत देय धनराशि			
1	प्रथम त्रैमासिक देय किश्त			
2	द्वितीय त्रैमासिक देय किश्त			
3	तृतीय त्रैमासिक देय किश्त			
4	चतुर्थ त्रैमासिक देय किश्त			
5	पंचम त्रैमासिक देय किश्त			
6	षष्टम् त्रैमासिक देय किश्त			
7	सप्तम त्रैमासिक देय किश्त			
8	अष्ठम त्रैमासिक देय किश्त			
9	नवम त्रैमासिक देय किश्त			
10	दशम त्रैमासिक देय किश्त			

फ्लैट की प्रत्येक त्रैमासिक किश्तों का भुगतान आन्ध्रा बैंक, आफिस काम्पलेक्स, केशवपुरम कल्यानपुर कानपुर के खाता संख्या ..... में (नीली पर्ची पर) एवं सेवाकर की धनराशि बैंक आफ बड़ौदा शाखा कल्यानपुर, कानपुर के खाता संख्या ..... में उपर्युक्त देय तिथि से पूर्व जमा करना सुनिश्चित करें।

Scanned by CamScanner

नियम व शर्तें

1 पंजीकरण आवंटन की वैधता बनाये रखने हेतु मांग पत्र के अनुसार देय निर्धारित त्रैमासिक किश्तों का समयान्तर्गत भुगतान करना अनिवार्य होगा।

2 मांग पत्र के अनुसार देय किश्तों की धनराशि का भुगतान 10 त्रैमासिक किश्तों में करना होगा।

3 यदि मांग पत्र में दर्शाये गये विवरण के अनुसार निर्धारित तिथि तक वांछित भुगतान नहीं किया गया, तो किश्त की देय धनराशि पर विलम्ब अवधि के लिये परिषद नियमानुसार 13.5% अतिरिक्त ब्याज देय होगा तथा ब्याज की गणना मासिक की जायेगी।

4 यदि किसी व्यक्ति द्वारा निर्धारित तिथि से तीन माह के अन्दर देय किश्त की निर्धारित मूल धनराशि का भगतान नही किया जाता है, तो उसका पंजीकरण पुस्तिका के नियम 5.3 व परिषदादेश के अनुसार किसी भी त्रैमासिक किश्त का भुगतान समयान्तर्गत न किये जाने पर फ्लैट/पंजीकरण स्वतः निरस्त हो जायेगा, और जमा की गयी धनराशि की वापसी परिषद के नियमों के अनुसार पंजीकरण धनराशि में से निर्धारित कटौती करते हुए बिना ब्याज के वापस की जायेगी। आंशिक/पूर्ण भुगतान के उपरान्त सम्पत्ति निरस्तीकरण की दशा में सेवाकर का दायित्व आवंटी का होगा, जिसकी वापसी परिषद द्वारा नहीं की जायेगी।

5 नगर निगम अथवा अन्य किसी विभाग/निकाय द्वारा लगाये गये समस्त कर/शुल्क, गृह कर, जल कर आदि का भुगतान नियमानुसार आवंटी को करना होगा।

6 पंजीकरण पुस्तिका के अनुसार फ्लैट्स पर अतिरिक्त मदों के विरूद्ध देय धनराशि जमा करने की सूचना अन्तिम प्रदेशन पत्र द्वारा दी जायेगी।

7 पंजीकरण के उपरान्त मांग पत्र के अनुसार देय किश्तों की धनराशि का भुगतान अधिकृत बैंक में ही नकद अथवा बैंक ड्राफ्ट द्वारा किया जायेगा।

8 बैंक में धनराशि जमा करते समय रसीद पर आवेदक का नाम, पता, योजना का नाम, फ्लैट तल व पंजीकरण चालान संख्या का उल्लेख अवश्य किया जाये तथा उसकी एक प्रति अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में उपलब्ध कराना आवंटी का उत्तरदायित्व होगा।

9 फ्लैट के मूल्य में कमी–वृद्धि हो जाने पर, अन्तिम प्रदेशन पत्र द्वारा सूचित किया जायेगा।

10 किसी शर्त में संशोधन का अधिकार आवास आयुक्त में निहित होगा एवं ऐसे संशोधन प्रभावी होंगे। शेष नियम व शर्तें पंजीकरण पुस्तिका के अनुसार प्रभावी होगी।

भवदीय

(सम्पत्ति प्रबन्धक)
कृते आवास आयुक्त

Scanned by CamScanner